न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
13/22	एफएसएस एक्ट, 2006	15/09/2022

1. पदम सिंह परमार,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. राकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल उम्र 44 वर्ष जाति महाजन निवासी श्रीजी मंदिर के पास गंगापुर सिटी (एफबीओ व मालिक) –फर्म – राकेश मावा भण्डार ,आर्य स्कूल के पास लुहार गली गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय   दिनांक 04/07/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन द्वारा दिनांक 02.11.2021 को मैसर्स राकेश मावा भण्डार आर्य स्कूल के पास का निरीक्षण किया। वक्त निरीक्षण दुकान पर मौजूद व्यक्ति को अपना परिचय दिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि लगभग 35 किलोग्राम मावा ब्रिकी हेतु रखा हु था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त मावा का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विकेता से कहां और फार्म 5ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

उक्त मावा में से 1 किलोग्राम मावा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन द्वारा वास्ते नमूना जांच खरीदी जिसकी कीमत विकेता राकेश कुमार मित्तल को 200/– (दौ सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये मावा को बराबर–बराबर नियमानुसार चार नमूना तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर सील मोहर कर एवं अलग से सील्ड लिफाफे में तथा अलग से दो प्रतियां फार्म नम्बर 6 को अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को मौ0 असलम वार्ड बॉय के द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना के दो भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों में एक खाकी कागज में लेपट कर कागज के कोनों पर गोंद से चिपकाकर चारों ओर से मजबूत धागे से बांध कर चार जगह सील चपडी कर डी0ओ0 कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2021/2594 दिनांक 02.12.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1720/एक्ट/2021 /1600 दिनांक 26.11.2021 का अध्ययन करने पर यह नमूना अवमानक प्रकृति का पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1720/एक्ट/2021 /1600 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक खाद्य वस्तु मावा का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि तत्कालीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त से धन की मांग की गई, अभियुक्त द्वारा मना किए जाने पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी पी0सी0जैन द्वारा मावा के सेम्पल लिया। जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द जैन ने उक्त मावा में तापमान का कोई ध्यान ने रखते हुए उक्त मावा खाली बोतलों में भर दिया। जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन का स्वयं का कथन है कि विक्रेता के फ्रिजर में मावा खाद्य पदार्थ रखा हुआ था। जब उक्त खाद्य पदार्थ मावा कोल्ड स्थान पर रखने योग्य खाद्य पदार्थ के है तो आवेदक को उक्त नमूना भी कोल्ड एरिया में ही रखना चाहिए था। उक्त खाद्य पदार्थ अधिक तापमान में रखने के कारण अवमानक प्रकृति का पाया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचन्द्र जैन की है। अभियुक्त द्वारा को केवल जिस अवस्था में माल क्रय करता है उसी अवस्था में माल का विक्रय करता है। अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। आवेदक एक छोटी सी फर्म चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है,साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक राजस्थान जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/1720/एक्ट/2021 /1600 दिनांक 26.11.2021के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने खाद्य वस्तु मावा का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 के तहत की गई अनियमितता के लिये सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुये अभियुक्त की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को 10000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक.04/07/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी, जिला-

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी